(GI-11, GI-12+15, GI-13+14, SI-5)

DATE: 19.06.2020 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 & 2 is compulsory.
Candidates are also required to answer any Four questions from the remaining Five Questions.

Answer 1:

1. Ans. a
2. Ans. c
3. Ans. b
4. Ans. a
5. Ans. c
6. Ans. c
7. Ans. c
8. Ans. d
9. Ans. a
10. Ans. a
11. Ans. d
12. Ans. c

{1 M for each question} = (22 Marks)

13. Ans. d
14. Ans. a
15. Ans. a
16. Ans. d
17. Ans. b
18. Ans. c
19. Ans. b
20. Ans. d
21. Ans. c
22. Ans. a
23. Ans. a
24. Ans. b
25. Ans. d
26. Ans. b

{2 M for each question} = (8 Marks)

Answer 2:

(a) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कम्पनी जिसने प्रविवरण जारी करके जनता से धनराशि प्राप्त की है, और अभी तक उस धन राशि का प्रयोग नहीं किया, वह अपने उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं कर सकती, जब तक कि कम्पनी विशेष प्रस्ताव पारित न कर दें तथा

(i) प्रस्ताव से संबंधित जानकारी कम्पनी को एक अंग्रेजी अखबार तथा एक स्थानीय भाषा के अखबार में छपवानी होगी जो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय की जगह पर चलता है और साथ में कम्पनी के वेबसाईट पर भी अपलोड करनी होगी जिसमें परिवर्तन करने का कारण बताया हुआ रहेगा। **{3 M}**

(ii) असहमत अंशधारियों को सेबी के दिशा निर्देशानुसार निकासी प्रस्ताव देना पड़ेगा।

कम्पनी को विशेष प्रस्ताव के प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल करनी पड़ेगी, और वह भी 30 दिन के अंदर तभी यह परिवर्तन प्रभावी माना जायेगा, जब पंजीकार प्रमाण पत्र हमें दे देगा। **{1 M}**

उपरोक्त प्रावधानों को आधार बनाते हुए हम कह सकते हैं कि कम्पनी उपरोक्त बताई गई आवश्यकताओं को पूरा कर दे तो वह अपने उद्देश्य में परिवर्तन कर सकती है। **{1 M}**

Answer:

(b) अंशों का आवंटन (Allotment of Shares)- कम्पनी न्यूनतम अभिदान जो कि प्रविवरण में उल्लिखित है उसका 80 प्रतिशत प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार कम्पनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 39(1) की अवहेलना करते हुए आवंटन किया है। धारा 39(1) के अनुसार कम्पनी जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रविवरण में उल्लिखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता है। **{$2^{1/2}$ M}**

धारा 39(3) के अनुसार कम्पनी द्वारा प्राप्त राशि (न्यूनतम अभिदान का 80 प्रतिशत) को आवेदक को वापस लौटा दिया जाएगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है।
इसलिए वर्तमान केस में X का यह अधिकार है कि वह प्रतिभूतियों के आवंटन को मना कर सकते हैं जो कम्पनी द्वारा अवैध रूप से किया गया है। **{$2^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) प्रश्न में पूछी गई समस्या भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 160 और 161 के प्रावधानों पर आधारित है। इसके अनुसार, निक्षेपक के निर्देशों के अनुसार, बिना मांग के, जमानत के निर्देशों के अनुसार दिए गए माल को वापस करना या वितरित करना है। जैसे ही जिस समय के लिए उन्हें जमानत दी गई थी, वह समाप्त हो गई है, या जिस उद्देश्य से उन्हें निक्षेप दी गई थी, वह पूरा हो गया है। धारा 161 के अनुसार, यदि, जमानत के डिफॉल्ट द्वारा, सामान वापस नहीं किया जाता है, उचित समय पर वितरित या टेंडर किया जाता है, तो वह उस समय से माल के किसी भी नुकसान, विनाश या गिरावट के लिए जमानत के लिए जिम्मेदार होता है, भले ही वह कुछ भी हो उसकी ओर से उचित देखभाल का अभ्यास। **{$2^{1/2}$ M}**

इसलिए, दिए गए मामले में उपरोक्त प्रावधानों को लागू करते हुए, महेश नुकसान के लिए उत्तरदायी है, हालांकि वह लापरवाह नहीं था, लेकिन उचित समय (शॉ एंड कंपनी बनाम सिमोंस एंड संस) के भीतर कार देने में उसकी विफलता के कारण। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 3:

(a) एक सदस्य के वोटिंग अधिकारः धारा 47 सदस्यों के मतदान के अधिकारों को नियंत्रित करती है। धारा 47 (1) के तहत, इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक संकल्प पर, वोट देने का अधिकार है। यदि संकल्प पर मतदान एक सर्वेक्षण के लिए डाल दिया जाता है तो उस मामले में उसका अधिकार कंपनी की चुकता पूंजी में उसके हिस्से के अनुपात में होगा। एक सदस्य व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। **{1 M}**

धारा 47 (2) में कंपनी के शेयर पूंजी में वरीयता शेयरों के प्रत्येक धारक के लिए प्रदान करता है, केवल एक प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार है जो सीधे प्राथमिकता शेयर पूंजी से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करता है। **{1 M}**

उप खंड आगे प्रदान करता है कि कंपनी के समापन या उसकी इक्विटी या वरीयता शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान या कटौती के लिए किसी भी संकल्प के मामले में, एक पक्ष पर वरीयता शेयरधारक का मतदान अधिकार उसके हिस्से के अनुपात में होगा। कंपनी की चुकता वरीयता शेयर पूंजी। **{1 M}**

इसके अलावा, वरीयता शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों के लिए इक्विटी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों का अनुपात उसी अनुपात में होगा जैसा कि इक्विटी शेयरों के संबंध में भुगतान की गई पूंजी वरीयता शेयरों के संबंध में भुगतान की गई पूंजी के लिए है। **{1 M}**

बशर्ते कि दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए वरीयता शेयरों की एक श्रेणी के संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, इस तरह की वरीयता वाले शेयरधारकों को कंपनी के समक्ष रखे गए सभी प्रस्तावों पर वोट देने का अधिकार होगा। **{1 M}**

Answer:

(b) निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन में बताया जायेगा :

(1) वार्षिक खातों की तैयारी में, महत्वपूर्ण प्रस्थानों के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ–साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था, **{1 M}**

(2) निदेशकों ने उक्त लेखा नीतियों का चयन किया है, एवं उन्हें लगातार लागू किया है तथा उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान किए है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों की स्थिति के बारे में तथा उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ–हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्रण किया जा सके, **{1 M}**

(3) निदेशकों ने कम्पनी के सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उनकी रोकथाम करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड तैयार करने के लिए उचित एवं पर्याप्त ख्याल रखा था, **{1 M}**

(4) निदेशकों ने चल रहे मामले के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए थे, तथा **{1/2 M}**

(5) एक सूचीबद्ध कम्पनी के मामले में, निदेशकों ने कम्पनी द्वारा पालन किए जाने हेतु आन्तरित वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए है और ऐसे आतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

यहॉ शब्द आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय कम्पनी द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों एवं प्रक्रियाओं से अभिप्रेत है, जिसमें कम्पनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उसकी रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड की सटीकता एवं पूर्णता, तथा विश्वसनीय जानकारी को समय पर तैयार किया जाना शामिल है। **{1 M}**

(6) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियॉ तैयार की थी तथा उक्त प्रणालियॉ पर्याप्त थी एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी। **{1/2 M}**

Answer:

(c) दी गई समस्या के साथ युग्मित एजेंसी' से संबंधित प्रावधान पर आधारित है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 202 के अनुसार, एक एजेंसी अपरिवर्तनीय हो जाती है, जहां एजेंट की खुद की संपत्ति में रुचि होती है, जो एजेंसी का विषय–वस्तु बनाती है, और ऐसी एजेंसी एक्सप्रेस प्रावधान के अभाव में नहीं कर सकती है। अनुबंध, इस तरह के ब्याज के पूर्वाग्रह के लिए समाप्त किया जाएगा। तत्काल मामले में ब्याज के साथ युग्मित एजेंसी का नियम लागू होता है और मृत्यु, पागलपन या प्रिंसिपल की दिवालिया होने पर भी समाप्त नहीं होता है। **{2$^{1/2}$ M}**

इस प्रकार, जब सुनील ने अपनी जमीन बेचने के लिए राजेंद्र को अपना एजेंट नियुक्त किया और उन्हें बिक्री की आय में से लोन की राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया, तो राजेंद्र के पक्ष में हित पैदा हो गया और उक्त एजेंसी निरस्त नहीं है। सुनील द्वारा एजेंसी का निरसन कानूनन सही नहीं है। **{1$^{1/2}$ M}**

Answer 4:

(a) ''योग्य कंपनी'' का अर्थ है एक सार्वजनिक कंपनी, जिसे धारा 76 की उप–धारा (1) में संदर्भित किया गया है, जिसकी कुल संपत्ति एक सौ करोड़ रुपये से कम नहीं या पाँच सौ करोड़ रुपये से कम का कारोबार नहीं है और जिसने इसे प्राप्त किया है। एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से आम बैठक में कंपनी की पूर्व सहमति और जमा की स्वीकृति के लिए जनता को कोई भी निमंत्रण देने से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ उक्त प्रस्ताव दायर कियाः **{2 M}**

हालांकि, एक योग्य कंपनी, जो धारा 180 की उप–धारा (1) के खंड (सी) के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर जमा स्वीकार कर रही है, एक साधारण संकल्प के माध्यम से जमा स्वीकार कर सकती है।
एक पात्र कंपनी अपने सदस्यों से किसी भी जमा को स्वीकार या नवीनीकृत कर सकती है, यदि इस तरह की जमा राशि की राशि बकाया राशि की स्वीकृति या सदस्यों से इस तरह के जमा के नवीकरण के रूप में दस प्रतिशत से अधिक है। कंपनी की पेड–अप शेयर पूंजी, निःशुल्क आरक्षित और प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाते के एकत्रीकरण का। **{2 M}**
एबीसी लिमिटेड की कुल संपत्ति 120 करोड़ रुपये है। इसलिए, यह पात्र कंपनी की श्रेणी में आ सकता है।

इस प्रकार, एबीसी को यह सुनिश्चित करना है कि सदस्यों से स्वीकृति जमा राशि कंपनी के पेड–अप शेयर पूंजी, निः शुल्क आरक्षित और प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाते के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। **{1 M}**

Answer:

(b) धारा 77 (1) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि यह प्रत्येक कंपनी का कर्तव्य होगा कि वह अपनी संपत्ति या संपत्ति या उसके किसी उपक्रम पर, चाहे वह मूर्त हो या अन्यथा, और भारत में या उसके बाहर स्थित, रजिस्टर करने के लिए, भारत के भीतर या बाहर एक चार्ज बनाएगी। कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित प्रभार और उपकरणों के साथ प्रभारी धारक, यदि कोई हो, इस तरह के शुल्क का निर्माण, इस तरह के शुल्क के भुगतान पर और इस तरह के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जिसके तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के साथ विशेष विवरण निर्माण या इस तरह के विस्तारित अवधि को रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया गया है। **{2 M}**

धारा 78 के तहत, जहां कोई कंपनी इस अध्याय के तहत किसी भी अपराध के संबंध में अपने दायित्व के प्रति पक्षपात के बिना, धारा 77 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर चार्ज दर्ज करने में विफल रहती है, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में चार्ज बनाया जाता है, पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर सकता है। प्रभारी के लिए बनाए गए उपकरण के साथ चार्ज, ऐसे समय के भीतर और इस तरह के रूप और तरीके में निर्धारित किया जा सकता है और रजिस्ट्रार कंपनी को नोटिस देने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर इस तरह के आवेदन पर, जब तक कि कंपनी स्वयं चार्ज को पंजीकृत करता है या पर्याप्त कारण दिखाता है कि इस तरह के चार्ज को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह के शुल्क के भुगतान पर ऐसे पंजीकरण की अनुमति दें, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। **{2 M}**

बशर्ते कि जहां पंजीकरण उस व्यक्ति के आवेदन पर प्रभाव डालता है जिसके पक्ष में शुल्क सृजित किया जाता है, उस व्यक्ति को कंपनी से वसूल करने का अधिकार होगा या शुल्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रार को उसके द्वारा अदा की गई कोई अतिरिक्त फीस। **{1 M}**

Answer:

(c) समस्या के तथ्य H.N.D नामक एक मामले के तथ्यों के समान हैं। मुल्ला फिरोज बनाम। C.Y. सोमया जुलु, जे (2004) 55 एससीएल (एपी) जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता के पास अपीलकर्ता को राशि वापस करने का कानूनी दायित्व है, याचिकाकर्ता चेक का दराज नहीं है, जिसे बदनाम किया गया था और चेक उसके द्वारा बनाए गए खाते पर भी नहीं खींचा गया था, लेकिन कंपनी द्वारा बनाए गए खाते पर खींचा गया था। **{$2^{1/2}$ M}**

इसलिए, यह माना गया कि याचिकाकर्ता J को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसलिए एक्स भी चेक के लिए उत्तरदायी नहीं है लेकिन माल के भुगतान के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 5:

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (4) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी रजिस्ट्रार के साथ वार्षिक रिटर्न की एक प्रति दाखिल करेगी, जिस दिन वार्षिक आम बैठक आयोजित की जाती है या जहां कोई वार्षिक सामान्य बैठक नहीं होती है। बैठक किसी भी वर्ष में आयोजित की जाती है, जिस तिथि से वार्षिक आम बैठक होनी चाहिए थी, उस तिथि से 60 दिनों के भीतर, वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित न करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए। **{3 M}**

दिए गए प्रश्न में, यहां तक कि वार्षिक आम बैठक के आयोजन के मामले में भी, कंपनी रजिस्ट्रार के साथ वार्षिक विवरणी की एक प्रति दाखिल करेगी, जिसमें एक बयान के साथ तारीख से 60 दिनों के भीतर वार्षिक आम बैठक आयोजित न करने के कारणों को निर्दिष्ट किया जाएगा। जिस पर वार्षिक आम बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी। इसलिए, निदेशकों का विवाद सही नहीं है। **{2 M}**

Answer:

(b) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 100 (2) के अनुसार, निदेशक मंडल को सदस्यों की निर्धारित न्यूनतम संख्या के अनुसार आवश्यक होने पर एक सामान्य बैठक बुलानी चाहिए।

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 (2) (बी) के अनुसार, यदि कंपनी की बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर कोरम नहीं मिलता है, तो बैठक, यदि अपेक्षित हो सदस्यों के, रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए, बैठक को रद्द कर दिया गया है और इसे स्थगित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा लिया गया स्टैंड उचित नहीं है। **{$2^{1/2}$ M}**

(ii) कंपनी अधिनियम की धारा 94 (2) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंद होने के अलावा, रजिस्टरों और उनके सूचकांकों, और सभी रिटर्न की प्रतियां किसी भी सदस्य, डिबेंचर द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी –होल्डर, अन्य सिक्योरिटी होल्डर या फायदेमंद मालिक, बिना किसी शुल्क के भुगतान के व्यावसायिक घंटों के दौरान और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस के भुगतान पर जो निर्धारित की जा सकती है।
तदनुसार, एक निदेशक श्री भीम, जो कंपनी के शेयरधारक हैं, को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी शुल्क के भुगतान के बिना व्यावसायिक घंटों के दौरान सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार है। **{$2^{1/2}$ M}**

Answer

(c) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार, जब किसी व्यक्ति के पास धन के आदान–प्रदान की आंशिक अनुपस्थिति या विफलता होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ने विनिमय बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कुल अनुपस्थिति या विचार की विफलता के लिए लागू होने वाले नियम लागू होंगे। **{$2^{1/2}$ M}**

इस प्रकार, एक–दूसरे से तात्कालिक संबंध रखने वाले पक्ष वास्तविक विचार से अधिक नहीं वसूल सकते हैं। तदनुसार, एक्स केवल रुपये 8000 की वसूली कर सकता है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 6:

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 के प्रावधान के अनुसार, किसी निदेशक द्वारा लाभांश के बिना बकाया या किसी अन्य राशि में बकाया राशि के आह्वान को समायोजित करने के लिए निदेशक द्वारा कोई अपराध नहीं कहा जाएगा, जैसा कि एक द्वारा घोषित किया गया है। कंपनी। **{3 M}**

इस प्रकार, दिए गए तथ्यों के अनुसार, मेसर्स फ्यूचर लिमिटेड रुपये की राशि को समायोजित कर सकता है। 10% के घोषित लाभांश के खिलाफ 50,000 अनपेड कॉल मनी, अर्थात 5,00,000 x 10 / 100 = 50,000. इसलिए, करन की अवैतनिक कॉल मनी (रु. 50,000) को पूरी तरह से रु. 50,000 की कुल लाभांश राशि से समायोजित किया जा सकता है। **{2 M}**

Answer:

(b) कंपनीज (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) रूल्स, 2014 ऑफ कंपनीज एक्ट, 2013 के साथ सेक्शन 135, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।
दिए गए तथ्यों के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में उत्तर दिए गए हैं–

(i) कंपनी को सीएसआर के लिए खर्च करने वाली राशिः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कुल शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे। कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में, तुरंत वित्तीय वर्षों में तीन के दौरान बनाई गई।
तदनुसार, वित्तीय वर्ष से पहले तीन तुरंत तिरुपति लिमिटेड का शुद्ध लाभ 150 करोड़ (30+70+50) है और इन तीन तुरंत वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत, 1 करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष 2017–2018 में सीएसआर की ओर खर्च किया गया। **{3 M}**

(ii) सीएसआर समिति की संरचनाः सीएसआर समिति में 3 या अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

(a) एक गैर–पंजीकृत सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी जो धारा 135(1) के तहत शामिल है जिसे स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे निदेशक के बिना इसकी सीएसआर समिति होगी। **{2 M}**

(b) अपने बोर्ड में केवल दो निदेशकों वाली एक निजी कंपनी दो ऐसे निदेशकों के साथ अपनी सीएसआर समिति का गठन करेगीय

Answer:

(c) (i) आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक कंपनियों का वर्गः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक कंपनियों के वर्ग को निर्धारित करता है। इसके अनुसार, आंतरिक लेखा परीक्षक या आंतरिक लेखा परीक्षकों की एक फर्म की नियुक्ति के लिए कंपनियों के निम्न वर्ग की आवश्यकता होगी। **{3 M}**

1. हर सूचीबद्ध कंपनी,
2. हर गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है –
   - (a) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की शेयर पूंजी का भुगतान या
   - (b) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार या
   - (c) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से 100 करोड़ या अधिक से अधिक ऋण या उधार लेना या
   - (d) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया जमा तथा
3. हर निजी कंपनी –
   - (a) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार या
   - (b) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार १०० करोड़ रुपये या उससे अधिक।

प्रश्न में दिए गए तथ्यों के अनुसार, PQR लिमिटेड एक गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 80 करोड़ पूंजी तथा 110 करोड़ का टर्नओवर चूंकि पीक्यूआर लिमिटेड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये से अधिक की भुगतान की गई शेयर पूंजी के साथ मानदंडों में से एक को पूरा करता है, इसलिए पीक्यूआर लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है।

(ii) धारा 13 (1) के अनुसार, एक आंतरिक लेखा परीक्षक या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (व्यवहार पर लगे हुए) या एक लागत लेखाकार, या ऐसे अन्य पेशेवर होंगे जो बोर्ड द्वारा तय किए जा सकते हैं। यहां तक कि कंपनी के एक कर्मचारी को कंपनी (नियम) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया जा सकता है। **{1 M}**

Answer 7:

(a) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 9 के अनुसार, ''धारक नियत समय में'' का अर्थ है– कोई भी व्यक्ति **{3 M}**

- जो विचार के लिए
- एक वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक (यदि देयकर्ता के लिए देय हो), या उसके भुगतानकर्ता या उसके (यदि ऑर्डर करने के लिए देय हो तो) का अधिकारी बन जाता है।
- इससे पहले कि इसमें दी गई राशि देय हो, और
- यह मानने के पर्याप्त कारण के बिना कि कोई भी दोष उस व्यक्ति के शीर्षक में मौजूद है, जहाँ से उसने अपना शीर्षक निकाला है।

तत्काल मामले में, श्री वी रुपये 11,000 का चेक खींचता है। और उपहार के रूप में श्री बी को देता है।

(i) श्री बी धारक हैं, लेकिन नियत समय में धारक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मूल्य और विचार के लिए चेक नहीं मिला है। **{1 M}**

(ii) मिस्टर बी का शीर्षक अच्छा और बोनाफाइड है। एक धारक के रूप में वह रुपये प्राप्त करने का हकदार है। बैंक से 11,000 जिस पर चेक निकाला गया है। **{1 M}**

Answer:

(b) ''गुड फेथ'' (धारा 32 (22) जनरल क्लॉज एक्ट, 1 : 9 ए) एक बात को ''अच्छे विश्वास'' में किया जाना माना जाएगा जहां यह वास्तव में ईमानदारी से किया जाता है, चाहे वह लापरवाही से किया गया हो या नहीं। **{3 M}**

जनरल क्लॉज एक्ट के तहत सद्भावना का प्रश्न एक तथ्य है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में निर्धारित करना है। शब्द ''अच्छा विश्वास'' को अलग–अलग अधिनियमों में अलग–अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। सद्भाव की यह परिभाषा उस अधिनियमन पर लागू नहीं होती है जिसमें ''सद्भाव'' शब्द की एक विशेष परिभाषा है और वहाँ उस विशेष अधिनियमन में दी गई परिभाषा का पालन किया जाना है। यह परिभाषा केवल तभी लागू की जा सकती है यदि विषय या संदर्भ में कुछ भी नहीं है, और यदि ऐसा है, तो परिभाषा लागू नहीं होती है। **{2 M}**

Answer:

(c) व्याख्या / निर्माण के लिए आंतरिक सहायक वे हैं जो कानून के पाठ के भीतर पाए जाते हैं। दूसरी ओर व्याख्या के बाहरी सहायक वे कारक हैं जो कानून के पाठ के लिए बाहरी हैं, लेकिन बहुत मददगार हैं।

व्याख्या करने के लिए आंतरिक एड्स के उदाहरणः

1. परिभाषा
2. धारण
3. प्रावधानों
4. लंबी शीर्षक और लघु शीर्षक
5. प्रस्तावना
6. चेप्टर का शीर्षक
7. सीमांत नोट
8. स्पष्टीकरण
9. अनुसूचियों
10. संपूर्ण रूप से कानून पढ़ना

Maximum 2 Marks for Any Five

व्याख्या के लिए बाहरी एड्स के उदाहरणः

1. ऐतिहासिक सेटिंग (पृष्ठभूमि)
2. कानून और पिछले कानून को समेकित करना
3. प्रयोग
4. पहले और बाद में अनुरूप कार्य
5. पहले के कार्यों को बाद के अधिनियम द्वारा समझाया गया है
6. निरस्त कृत्यों का संदर्भ
7. शब्दकोश की परिभाषा
8. विदेशी निर्णयों का उपयोग

Maximum 2 Marks for Any Five

***